झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/967/2020– 05/20-21 ..../राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु शीर्ष 4701–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन मद में ₹ 463.56 लाख (रूपये चार करोड़ तिरसठ लाख छप्पन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु शीर्ष 4701–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन मद में ₹ 463.56 लाख (रूपये चार करोड़ तिरसठ लाख छप्पन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इसके अंतर्गत परिशिष्ट–I पर संलग्न विवरणी के अनुसार सिंचाई अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नियोजित मौसमी मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान एवं सिंचाई योजनाओं का वार्षिक रख–रखाव इत्यादि कार्य कराया जाएगा।

4. यह कार्य वर्ष 2020–21 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. इस कार्य पर होने वाला ₹ 463.56 लाख का व्यय विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निम्नानुसार विकलनीय होगा –

(i) मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–789–अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष–46–सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू० 122.75 लाख,

(ii) मुख्य शीर्ष 4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यत, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू० 85.39 लाख एवं,

(iii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–उप–शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण –45–निर्माण कार्य के अंतर्गत रू० 255.42 लाख।

6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्य के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. इस कार्य के लिए वर्ष 2020–21 के बजट में उपबंध है।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायगी।

10. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/11/20

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/967/2020–05/20-21 य.(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/20

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/967/2020–05/20-21 य.(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/20

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/967/2020–05/20-21 य.(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल–1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/20

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/967/2020–05/20-21 य.(व)/राँची, दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/20

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

G:\Node-4\De. Sir\Sanlekha\Seasonal Labour\2020-21.doc